which it will be exploited for operatinal use.

(b) and (c) Do not arise in view of the answer to the part (a).

राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों के लिए सेवाओं में आरक्षण

4167. **डा० जगन्नाथ मिश्र:**
श्री अजीत जोगी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कैडेट कोर के कितने कैडेट प्रति वर्ष "बी" और "सी" प्रमाणपत्र प्राप्त करते हैं;

(ख) क्या "बी" और "सी" प्रमाण-पत्रधारी कैडेटों के लिए रक्षा सेवाओं में कोई पद आरक्षित है;

(ग) यदि हां, तो रक्षा सेवाओं में उनके लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं; और

(घ) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमु): (क) प्रति वर्ष औसतन 50,000 से अधिक राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेटों को "ख" प्रमाणपत्र और 13,500 से अधिक राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेटों को "ग" प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय कैडेट कोर के "ख" और "ग" प्रमाणपत्र धारक कैडेटों के लिए रिक्त पदों का कुछ प्रतिशत रक्षा बलों के अफसर संवर्ग में भर्ती के लिए आरक्षित है और रक्षा बलों के अन्य रैंकों में भर्ती के लिए उन्हें अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। इससे संबंधित ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय कैडेटों कोर के 'ख' और 'ग' प्रमाणपत्र धारी कैडेटों के लिए रक्षा बलों के अफसर संवर्ग तथा अन्य रैंकों में भर्ती संबंधी रियायतें

संगठन का नाम	अफसर संवर्ग में भर्ती में रियायत	रैंकों को भर्ती में रियायत	टिप्पणी
1	2	3	4
1. सेना	(क) "ग" प्रमाण-पत्र धारकों के लिए भारतीय सैन्य अकादमी में प्रत्येक पाठ्यक्रम में 32 रिक्तियां।	—	बशर्ते कि वे संघ लोक सेवा आयोग और सेना चयन बोर्ड द्वारा उपयुक्त पाए जाएं।
	(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर के "ग" प्रमाण-पत्र धारकों को अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में एस०एस०सी० (गैर-तकनीकी) के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा से छूट दी जाती है।		
		(क) सैनिक (जीडी) श्रेणी और सैनिक तकनीकी/क्लर्क, एस के टी, परिचर्या सहायक के रूप मे भर्ती के लिए शारीरिक मानदंडों और लिखित परीक्षा में 'ख" और "ग" प्रमाण-पत्र धारकों को 8% और 10% लाभ दिया जाता है।	

	संगठन का नाम	अफसर संवर्ग में भर्ती में रियायत	रैंकों को भर्ती में रियायत	टिप्पणी
	1	2	3	4
2.	नौसेना	नौसेना शाखा के राष्ट्रीय कैडेट कोर के "ग" प्रमाण-पत्र धारकों के लिए नौसेना में कमीशन दिए जाने के लिए प्रति पाठ्यक्रम में 6 रिक्तियां आरक्षित हैं।	—	सेना चयन बोर्ड द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने से छूट दी जाती है।
			(क) "ख" और "ग" प्रमाण-पत्र धारकों को सेलर के रूप में सीधी भर्ती के लिए 4 और 6 अंकों का लाभ दिया जाता है। (ख) "ख" और "ग" प्रमाण-पत्र धारकों को आर्टिफिशर/और अप्रैंटिसों के रूप में भर्ती के लिए 10 और 15 अंकों का लाभ दिया जाता है।	
3.	वायुसेना	(क) पायलटों की सीधी भर्ती के मामले में राष्ट्रीय कैडेट कोर के "ग" प्रमाण-पत्र धारकों के लिए 10% रिक्तियां आरक्षित हैं। (ख) वायुसेना की प्रत्येक अन्य शाखाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर के "ग" प्रमाण-पत्र धारकों के लिए 10% रिक्तियां आरक्षित हैं।	—	संघ लोक सेवा आयोग की प्रवेश परीक्षा से छूट दी जाती है।
			वायुसैनिक के रूप में चयन के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर के "ख" और "ग" प्रमाण-पत्र धारकों को 4 और 5 अंकों का लाभ दिया जाता है।	
4.	राष्ट्रीय कैडेट कोर	(क) राष्ट्रीय कैडेट कोर की पूर्णकालिक महिला अफसरों की 20% रिक्तियां राष्ट्रीय कैडेट कोर के "ग" प्रमाण-पत्र धारकों के लिए आरक्षित है। (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर की पूर्णकालिक महिला अफसरों और सिविलियन ग्लाइडिंग अनुदेशक के रूप में भर्ती के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर का "ग" प्रमाण-पत्र होना वांछनीय।		बालिका कैडेट अनुदेशकों (सार्जेंट मेजर अनुदेशक) की सभी रिक्तियां राष्ट्रीय कैडेट कोर के "ग" प्रमाण-पत्र धारकों के लिए आरक्षित हैं।

	संगठन का नाम	अफसर संवर्ग में भर्ती में रियायत	रैंकों को भर्ती में रियायत	टिप्पणी
	1	2	3	4
5.	सैन्य परिचर्या सेवा	बीएससी (परिचर्या) पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय कैडेट कोर के "ग" प्रमाण-पत्र धारक के लिए एक सीट आरक्षित है।	परिवीक्षाधीन परिचारिका पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर के "ग" प्रमाण-पत्र धारकों के वास्ते 24 सीटें आरक्षित हैं।	

Pending Freedom Fighters Pension Cases From Punjab

4168. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the answer to *Starred Question 255 given in Rajya* Sabha on the 12th March, 1997 and State:

(a) the number of cases of freedom fighters' pensions from Punjab pending with Government;

(b) the number of cases recommended by the Punjab Government in 1993 and those accepted and rejected, separately, with reasons therefor;

(c) whether some of them were rejected on the ground that the certifiers had issued co-prisoner's certificates indiscriminately; and

(d) if so, whether Government are aware of the difficulty in finding living co-prisoner freedom fighters; if so, the action proposed to grant pension in such cases?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) No such case is pending with the Central Government.

(b) to (d) The Government of Punjab had recommended 87 cases. Pension was sanctioned in 8 of these cases while the remaining 79 cases were rejected. Some of these cases were rejected on the ground mentioned in part (c) of the question. Certified copies of court record/jail record are required to prove the minimum period of jail suffering/ underground suffering/internment/ externment in connection with the freedom movement. If the said record is not available, applicants are required to produce co-prisoners certificate/personal knowledge certificate from eligible certifiers. Safeguards are necessary to ensure that pension is sanctioned only to eligible persons.

Thefts in Delhi

4169. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the cases of theft in houses and lifting of vehicles and robberies are on the increase in Delhi;

(b) if so, the number of theft cases in houses and lifting of vehicles and robberies taken place in the first three months of 1997, district-wise;

(c) the number of cases that have been solved and the reasons for the police beat and patrolling vehicles not to be a deterrent to the thieves, robbers and vehicles lifted during the time; and

(d) the action Government propose to take to make the police answerable regarding the theft, robberies, lifting of vehicles?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) to (d) The District-wise number of cases of theft in houses, lifting of vehicles and robberies reported and solved in Delhi during the first three months of 1997 as